कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990
www.govtdentalcollegeraipur.in
Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / 3380 / जीडीसी / मेन्ट / AMC-CMC / 2023 रायपुर / दिनांक 5-06.23

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण पत्र का प्रकाशन बाबत्।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में स्थापित मैनुअल / हाईड्रोलिक डेन्टल चेयरो **कुल 217** नग का ***वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.)*** किये जाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया इसे **प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 एवं स्थानीय स्तर के 01 समाचार पत्रों में** प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

5/6/23
प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990
www.govtdentalcollegeraipur.in
Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / 3380 / जीडीसी / मेन्ट / AMC-CMC / 2023 रायपुर दिनॉक 5.06.23

रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण

विषयः– महाविद्यालय में स्थापित मैनुअल / हाईड्रोलिक डेन्टल चेयरो के *वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.)* किये जाने हेतु (दर) प्रस्तुत करने बाबत्।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है कि महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में स्थापित डेन्टल चेयरो का *वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.)* "जहाँ है जैसा है" के शर्त पर किया जाना है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	मैनुअल / हाईड्रोलिक डेन्टल चेयरो का विवरण	अनुमानित संख्या
01	Suzdent Dental Chair	143
02	Bestodent	72
03	Basic Dental chair	02
	Total	**217**

उक्त कार्य हेतु पंजीकृत, अधिकृत, एवं अनुभवी फर्मे दर डालने हेतु आमंत्रित की जाती है। रूचि की अभिव्यक्ति के तहत संबंधित फर्म महाविद्यालय के वेब–साईट (www.govtdentalcollegeraipur.in) तथा नोटिस पटल से जानकारी प्राप्त कर मोहर बंद लिफाफे में 26 / 06 / 2023 शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते है।

("विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालय की वेब–साईट एवं कार्यालय के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है।")

5/6/23

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

क्रमांक / 3380 /जीडीसी / मेन्टे. / 2023 रायपुर / दिनांक 5.06.23

मैनुअल / हाईड्रोलिक डेन्टल चेयरो के वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) अनुबंध हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 50रू. नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एंव शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए।
3. रखरखाव हेतु महाविद्यालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें।

   " जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) का दर चेयरो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें। डेन्टल चेयरो का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) के दौरान लगने वाले पार्टस की सूची संलग्न करे। उक्त पार्टस निर्माता कंपनी / समकक्ष के होने चाहिए।
5. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोषप्रद होने पर समान शर्ते एवं दरो पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
8. डेन्टल चेयर निर्माता / अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म को एवं सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।
9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिर्पोट प्रदाय करनी होगी जो संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सत्यापित करेगे। तथा कोई भी कार्य रखरखाव शाखा के तकनीकी सदस्य / जूनियर इंजीनियर के देखरेख में ही संपादित होगी।
10. अनुशंसित किये गये फर्म को आदेश जारी होने के उपरांत 5000 रू. सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर. प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
11. वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06–06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

E:\Mentanens 2013\Fy 2019-20, mant.latter

12. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।

13. वार्षिक रखरखाव की आदेश में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्ते के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिती में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती।

14. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता की होना चाहिए।

15. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्ते मान्य है के संबंध में आपके एक नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तत करना होगा।

5/6/23

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर (छ0ग0)